**संख्या- 27/2017/1065/35-1-17-6/8(9)/2017**

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांकः 30 अक्टूबर, 2017

विषय- कृषकों की आय को दोगुनी करने के संबंध में आंकलन हेतु धनराशि को अवमुक्त/व्यय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषकों की आय को 05 वर्षों में (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक) दोगुना किये जाने के सम्बन्ध में वार्षिक सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य गिरि विकास अध्ययन संस्थान से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्संबंधी उक्त संस्थान से प्राप्त कुल रूपये 176.53 लाख के प्रस्ताव पर अनुमोदन तथा प्रथम किश्त के रूप में **रू0 35,30,600/- (रूपये पैंतीस लाख तीस हजार छः सौ मात्र)** की धनराशि को अवमुक्त/व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान'' में प्राविधानित धनराशि को शासनादेश संख्या-08/2017/319/35-1-2017-6 /8(8)/2016, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 तथा शासनादेश संख्या-20/2017/368/35-1-17-6/8(8)/2016, दिनांक 28 अगस्त, 2017 द्वारा निर्गत कुल धनराशि रू0 50.00 लाख में से उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवश्यकतानुसार आहरित करके निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका लेखा जोखा निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रखा जायेगा।

3. कृपया उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या- 27 / 2017 / 1065 (1)/35-1-2017, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, गिरी विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर-ओ, अलीगंज हाउसिंग योजना, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।